संख्या-12/2931/30-3-13-15बी/2012

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 13 नवम्बर, 2013

विषय- यात्री/माल कर अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य हेतु किराए पर वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1062इन्फ/13-28इन्फ/12, दिनॉक 20-09-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-1484/30-3-13-15बी/2012, दिनॉक 18-06-2013 के क्रम में यात्री/माल कर अधिकारियों को राजस्व अर्जन तथा प्रवर्तन कार्य हेतु **25 अतिरिक्त किराए के वाहन** लिये जाने हेतु प्रदान की गयी अनुमति को तीन माह के बजाय छः माह की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 01-10-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि तक के लिए बढाए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यात्री/माल कर अधिकारियों से राजस्व वसूली तथा प्रवर्तन कार्य लिए जाने हेतु दिनांक 01-10-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि के लिए 25 अतिरिक्त वाहनों को किराए पर लिए जाने की अनुमति एतदद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इस आशय का तुलनात्मक विवरण (चार्ट) उपलब्ध कराया जायेगा कि किराये पर वाहन लिये जाने से पूर्व वास्तविक वसूल किया गया प्रशमन शुल्क कितना था एवं किराये पर वाहन लिये जाने के पश्चात प्रशमन शुल्क की वास्तविक प्राप्ति कितनी है, ताकि वाहन किराये पर दिये जाने के फलस्वरूप प्रशमन शुल्क की वृद्धि के बारे में आकलन सम्भव हो सके। उक्त आकलन दिसम्बर, 2013 में उपलब्ध कराया जाये।

3- उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2275/30-3-2012-15बी/2012, दिनांक 30-8-2012 तथा शासनादेश संख्या-1484/30-3-2013-15बी/2012, दिनांक 18-06-2013 में निहित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-ई-9-466/दस-2013, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या-12/2931(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in